Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 154-2024/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, OCTOBER 9, 2024 (ASVINA 17, 1946 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 09 अक्तूबर, 2024

संख्या 25/जीएसटी–2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप–धारा (1), (3) और (4), धारा 11 की उप–धारा (1), धारा 15 की उप–धारा (5), धारा 16 की उप–धारा (1) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जन हित में आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में, सारणी में, क्रम संख्या 8 के सामने,–

(i) खाना (3), (4) और (5) के नीचे, मद (ivक) और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित मद और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:–

(3)	(4)	(5)
"(ivख) सामान के साथ या सामान के बिना, हवाई मार्ग से, सीट शेयरिंग के आधार पर हेलीकॉप्टर में यात्रियों का परिवहन।	2.5	परन्तु सेवा के प्रदाय में उपयोग किए गए माल पर प्रभावित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया हो। [कृपया व्याख्या से संबंधित पैराग्राफ 4 के खंड (iअ) का संदर्भ लें]।"।

(ii) खाना (3) के नीचे, मद (vii) में, "(ivक)," कोष्ठक, संख्या और अक्षर के पश्चात्, "(ivख)," कोष्ठक, संख्या और अक्षर रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 10 अक्तूबर, 2024 से लागू होगी।

देविंदर सिंह कल्यान,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 9th October, 2024

No. 25/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017, in the Table, against serial number 8,-

(i) after item (iva), under columns (3), (4) and (5) and entries thereagainst, the following item and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(ivb) Transportation of passengers, with or without accompanied baggage, by air, in a helicopter on seat share basis.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken. [Please refer to clause (iv) of paragraph 4 relating to Explanation].".

(ii) under column (3), in item (vii), after the brackets and figures "(iva),", the brackets and figures "(ivb)," shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from the 10th day of October, 2024.

DEVINDER SINGH KALYAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

11337—C.S.—H.G.P., Pkl.